

पुत्र,

श्री इय्यासु खन्डर अन्वेषणी,
संस्कृत समिति,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
प्रभाग केन्द्र-2, अन्वेषण केन्द्र,
पुणेति विहार, नई दिल्ली।

प्रिया 171 अनुभाग

तारीख: दिनांक: 30 सितम्बर, 2000

विषय- सिल्वर लाइन स्कूल, औद्योगिक क्षेत्र कानन्दागढ़ रोड, नाबियाबाद को सी०बी०एन०एन०ई० नई दिल्ली से संबन्धित हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिने जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे पत्र काने का निदेश हुआ है कि सिल्वर लाइन स्कूल, औद्योगिक क्षेत्र कानन्दागढ़ रोड नाबियाबाद को सी०बी०एन०एन०ई० नई दिल्ली से संबन्धित हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिने जाने के संबंध में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबंधों के अधीन आशयित नहीं है:-

- 111 विद्यालय की परीक्षित सौतापत्ती का तत्काल-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
- 121 विद्यालय की संबंध समिति में प्रिया निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
- 131 विद्यालय में कम से कम दस प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिये सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संबन्धित विद्यालयों में विभिन्न छात्रों के लिये नियमित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- 141 संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त है तथा विद्यालय की संबन्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद को मिल कर दि इच्छित अनुदान तदर्थिक उद्देश्य निम्नान नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा वर्ष से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषदों की संबन्धता प्राप्त होने व तिथि से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा।
- 151 संस्था शैक्षिक एवं निम्नोत्तर कक्षाओं को रावजीव महापता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कक्षाओं को अनुसूचित क्षेत्रों तथा अन्य भवनों से कम वेतनमान तथा अन्य भले नहीं दिये जायेगे।
- 161 कक्षाओं की सेवा नहीं बनायी जायेगी और उन्हें महापता प्राप्त आवासीय-उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कक्षाओं की अनुसूचित सेवा नियुक्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेगा।

- 171 राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्मित किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी।
- 181 विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित पुस्तक/संख्याओं में रखा जायेगा।
- 191 उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन या परिस्थान नहीं किया जायेगा।

2. उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के लिये अनिवार्य होना और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की पूछ या झिंझिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा पुनस्त अनुमोदित प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय,

। गवान सुन्दर अग्निहोत्री ।
संयुक्त तयिय।

पू०सं०- 3008 111/15-7-99 तद् दिनांक

प्रतिनिधि निम्नलिखित औ सुचना की एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, मेरठ।
3. जिला विद्यालय निरीक्षक, गाधियाबाद।
4. निरीक्षक, अंगन भारतीय विद्यालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. पुणेक, सिव्हर लाइन स्कूल, औद्योगिक क्षेत्र बुलन्दशहर रोड, गाधियाबाद।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा है,

(Signature)

। गवान सुन्दर अग्निहोत्री ।
संयुक्त तयिय।

(Signature)

Dr. Mala Kapoor
Principal

SILVER LINE PRESTIGE SCHOOL
A-2/1, BULANDSHAHR ROAD INDL. AREA
GHAZIABAD-201002